राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर)

क्रमांक एफ.21(28)आजभूस/मुमंजस्वाअ/2017/12784-872 दिनांक : 22/11/17

जिला कलक्टर,
समस्त

DD/ACM (PFC)
27/11

विषय : मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अंतर्गत तृतीय चरण के कार्यो के सम्पादन के क्रम में।

महोदय,

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तृतीय चरण का शुभारम्भ मरूस्थलीय जिलों (बाडमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं श्रीगंगानगर) में दिनांक 09 दिसम्बर 2017 एवं शेष जिलों में दिनांक 20 जनवरी, 2018 से किया जाना है एवं वर्तमान में सभी जिलों की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। डीपीआर तैयार करते समय कार्यो के सम्पादन हेतु प्रस्तावित वित्तीय संसाधनों के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं का ध्यान रखा जाये :-

1. डीपीआर में कार्यो की आवश्यकता एवं प्रगतिरत विभागीय योजनाओं में उपलब्ध फण्ड को ध्यान में रखकर ही कार्य प्रस्तावित किये जायें।

2. सर्वप्रथम जो कार्य प्रगतिरत विभागीय योजनाओं के उपलब्ध फण्ड के अंतर्गत सम्पादित किये जा सकते है, उन्हें प्राथमिकता पर प्रस्तावित किया जायें।

3. कुल डीपीआर की लागत के कम से कम 5 प्रतिशत कार्य जन सहयोग/सीएसआर के तहत सम्पादित करने हेतु चिन्हित कर आरक्षित किये जायें।

4. ऐसे कार्य, जो कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमत है एवं जो महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत उपलब्ध फण्ड में से कन्वर्जेन्स कर सम्पादित किये जा सकते है, उन्हें चिन्हित कर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ही प्रस्तावित किये जायें। डीपीआर की कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत लागत के कार्य महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रस्तावित किये जायें।

5. एमएलए-लैड योजनान्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के कम से कम 25 प्रतिशत कार्य अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अनुरूप जो कार्य एमएलए-लैड के अंतर्गत अनुमत है, उन्हें एमएलए-लैड के अंतर्गत यथासंभव स्वीकृत करवाने हेतु प्रयास किये जायें।

6. डांग, मगरा एवं मेवात योजनान्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जिले को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार कार्य प्रस्तावित किये जायें।

7. टीएडी योजनान्तर्गत सम्मिलित गांव यदि अभियान में चयनित गांवों में आते है तो टीएडी में उपलब्ध बजट एवं अनुमत गतिविधियों के अनुसार टीएडी योजनाओं से कार्य प्रस्तावित किये जायें।

Scanned by CamScanner

8. उपर्युक्त सभी वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत कार्य चिन्हित कर प्रस्तावित करने के उपरांत शेष कार्य एमजेएसए फण्ड के अंतर्गत प्रस्तावित किये जायें। **तृतीय चरण हेतु एमजेएसए फण्ड के अंतर्गत पूर्व चरणों की भांति आईडब्ल्यूएमपी ब्लॉक हेतु राशि रू. 2.25 करोड़ एवं नोन आईडब्ल्यूएमपी ब्लॉक हेतु राशि रू. 2.75 करोड़ उपलब्ध करवाई जायेगी।** अतः उक्त सीमा के अनुसार ही डीपीआर में राज्य मद से कार्य प्रस्तावित किये जायें।

9. यदि किसी ब्लॉक की डीपीआर के अनुसार राज्य मद के अंतर्गत राशि की आवश्यकता नहीं है तो किसी एक ब्लॉक हेतु कार्य मद में उपलब्ध करवाई गई राशि किसी अन्य ब्लॉक में जिला कलक्टर द्वारा स्वविवेक से आवश्यकतानुसार कार्य मद में हस्तातरित की जा सकती है।

10. ऐसी विभागीय योजनाएं, जिनमें उपलब्ध फण्ड माह मार्च में लैप्स हो जाता है, के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य माह मार्च, 2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किये जायें।

उक्त निर्देशों के अनुरूप डीपीआर के अंतर्गत कार्य एवं उनके वित्तीय संसाधन प्रस्तावित किये जायें।

(सुदर्शन सेठी) 21.11.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

कमांक एफ.21(28)आजभूस/मुमंजस्वाअ/2017/12784-872 दिनांक : 22/11/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
11. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त समस्त।
12. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ)वन विभाग।
13. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण, जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
16. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन),/वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक, समस्त, आयुक्तालय, जयपुर।
18. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, समस्त।

(PFC)

आयुक्त

Scanned by CamScanner